बलात्कार : एक अपराध

प्रकाशक
'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
डोरण्डा, राँची

बलात्कार : एक अपराध

प्रकाशक :

'न्याय सदन'

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

बलात्कार : एक अपराध

बलात्कार क्या है ?

कानून की नजर में बलात्कार एक जघन्य अपराध है। आए दिन महिलाएं इसका शिकार हो रही हैं। महिलाएं सामाजिक रूढ़िवादियों से बचने के लिए इस बात को दबा देती हैं। इसकी खास वजह पुलिस एवं कोर्ट–कचहरी है। कुछ लोग तो पुलिस थानों में सूचना भी नहीं देते हैं। कानून की नजर में "किसी महिला की इच्छा के विरूद्ध यदि कोई व्यक्ति उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता है, उसे बलात्कार कहते हैं।"

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 375 के अन्तर्गत बलात्कार कब माना जाता है।

15 वर्ष से कम उम्र की पत्नी के साथ किया गया शारीरिक सम्बन्ध, बलात्कार नहीं कहलाता।

❖ अगर कोई पुरूष महिला की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध करता है।

सहमति किसी तरह से डरा–धमका कर ली गई हो जैसे उसको मारने, घायल करने या उसके करीबी लोगों को मारने या घायल करने की धमकी दे कर ली गई हो।

❖ अगर सहमति झूठे प्रलोभन, झूठे वादे तथा धोखेबाजी (जैसे कि शादी का वादा, जमीन जायदाद देने का वादा, आदि) से ली जाती है तो ऐसी सहमति को सहमति नहीं माना जाएगा।

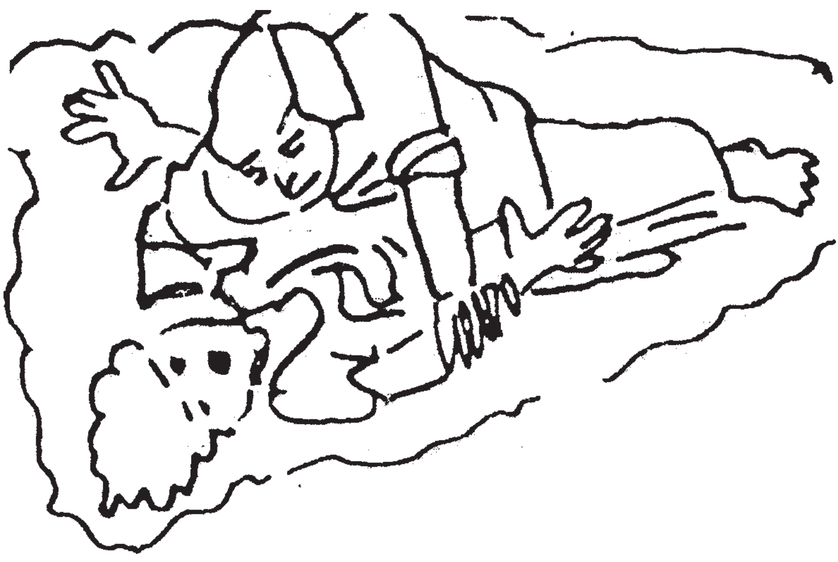

- नकली पति बनकर उसकी सहमति ली गई हो।
- उसकी सहमति तब ली गई हो जब वह दिमागी रूप से कमजोर या पागल हो।
- नशीले पदार्थ के सेवन के कारण वह होश में न हो तब उसकी सहमति ली गई हो।
- 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार की श्रेणी में आता है चाहे लड़की की सहमति हो तब भी।

बलात्कार के लिए सजा –

सात साल का कारावास जो बढ़कर 10 साल का भी हो सकता है। कुछ मामलों में इसे उम्र कैद में भी बदला जा सकता है। इसके अलावा जुर्माना भी हो सकता है।

जिस महिला के साथ बलात्कार किया गया हो वह उसकी पत्नी हो और 12 साल से कम उम्र की न हो तब उस व्यक्ति को 2 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

अगर न्यायालय 7 साल से कम की सजा देता है तो उसे लिखित रूप में उसका उचित कारण देना होगा।

विशेष परिस्थितियाँ

निम्न व्यक्तियों द्वारा किए गए बलात्कार की सजा कम से कम 10 साल का सश्रम कारावास जिसको उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकता है –

अगर कोई पुलिस अधिकारी निम्न अवस्थाओं में बलात्कार करता है –

- ❖ उस थाने के क्षेत्र के अन्दर जिसका वह क्षेत्र अधिकारी हो।
- ❖ उन थानों के अन्दर जो उसके अधिकार में न हो।
- ❖ वह महिला जो उसकी हिरासत में या उसके अधीनस्थ अधिकारी की हिरासत में हो।
- ❖ लोक सेवक जो अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके उसकी हिरासत में हो या उसके अधीनस्थ की हिरासत में होने वाली महिला के साथ बलात्कार करता है।
- ❖ नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों, कारावास के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उनकी हिरासत में जो महिलाएं हों उनके साथ बलात्कार करता हो।
- ❖ अस्पताल का प्रबन्धक और कर्मचारियों द्वारा अपने

अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उनकी हिरासत में जो महिलाएं हो उनके साथ बलात्कार करता हो।

- ❖ गर्भवती महिला के साथ जो बलात्कार करता हो।
- ❖ 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जो बलात्कार करता हो।
- ❖ जो सामूहिक बलात्कार करता हो।

निम्नलिखित परिस्थितियों में शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करना अपराध माना जाता है –

जो व्यक्ति कानूनी तौर पर अलग रहता हो परन्तु पत्नी की सहमति के बिना शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता हो, उसको 2 साल का कारावास और जुर्माना भी हो सकता है।

लोकसेवक द्वारा अपने अधिकारों का दुरूपयोग करके, नारी निकेतनों, बाल संरक्षण गृहों एवं कारावास, अस्पताल का प्रबन्धक और कर्मचारियों द्वारा उनके संरक्षण में जो महिलाएं हो उनके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित करता हो, ऐसे सभी अपराधों में 5 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं।

बलात्कार से शोषित महिला कौन–कौन सी सावधानी बरतें–

1. अपने सगे सम्बन्धियों या दोस्तों को खबर करें।

2. तब तक स्नान न करें जब तक डाक्टर जाँच व प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न हो जाए।

3. कपड़े न धोये क्योंकि यह कपड़े जाँच के आधार हैं।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराएं।

प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें –

1. घटना की तारीख

2. घटना का समय

3. घटना का स्थान अवश्य लिखाएं।

❖ रिपोर्ट लिखाने के बाद उसकी एक कॉपी अवश्य लें।

❖ पुलिस का कर्तव्य है कि वह पीड़ित महिला की डाक्टरी जाँच पंजीकृत डाक्टर से या नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में करवाकर डाक्टरी जांच की कॉपी अवश्य दें।

❖ बलात्कार के समय जो कपड़े पीड़ित महिला ने पहने हैं, डाक्टरी जांच के बाद पुलिस आपके सामने उन कपड़ों को सील बन्द करेगी जिसकी रसीद अवश्य ले लें।

बलात्कार के मामले की सुनवाई की प्रक्रिया –

बलात्कार के मामले की सुनवाई एक बन्द कमरे में होती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को वहाँ उपस्थित

रहने की अनुमति नहीं होती।

अगर पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने से मना कर दे तो आप निम्न जगहों पर शिकायत कर सकते हैं।

1. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या
2. मजिस्ट्रेट

घटना का विवरण निम्नलिखित जगहों पर लिखकर भेज सकते हैं –

1. कलेक्टर
2. स्थानीय या राष्ट्रीय समाचार पत्रों में
3. उत्तरांचल राज्य महिला आयोग
बी–201, सेक्टर 4, डिफेंस कालोनी,
देहरादून (उत्तरांचल)
4. राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली–110001

प्रकाशक

'न्याय सदन'

झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

डोरण्डा, राँची

फोन : 0651–2481520, 2482392 फैक्स : 0651–2482397

ई–मेल : jhalsaranchi@gmail.com

वेबसाइट : http://www.jhalsa.nic.in